

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1657/2010/जयपुर

मैसर्स श्री नर सिंह सहाय मदन गोपाल इलेक्ट्रिक कम्पनी  
जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त  
वाणिज्यिक कर विशेष वृत-प्रथम  
जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक 01.02.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 94/अपी-11/2007-08/जे.पी.बी. में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं,, जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा)की धारा 19 सपटित नियम 48 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.05.2007 के द्वारा अपीलार्थी के इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने को, यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 25.04.2007 को डाक से एक प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया, जिसमें 31.03.2006 को शेष रहे अन्तिम स्टॉक पर देय इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि लेखाकार की गलती के कारण सूचना समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी व्यवहारी ने विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना करने के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त लाभ को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वैट अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा करने सम्बन्धी प्रावधान नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 19 एवं 18(11) के उद्धरण अंकित करते हुए न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक

12.03.2010 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि लेखाकार की गलती से दिनांक 31.03.2006 को स्टॉक में शेष रहे स्टॉक की सूचना समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया है तथा उसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी ने भी की है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 18(ii) के अन्तर्गत अन्तिम स्टॉक की सूचना मांगते समय अधिनियम की धारा 93(2) के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है इसलिए सूचना समय पर नहीं दिये जाने के आधार इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम विधिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अस्वीकार प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 19 में कहीं भी अधिसूचना का उल्लेख नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 91 की पालना में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी परपत्र दिनांक 01.04.2006 के द्वारा दिनांक दिनांक 31.03.2006 को धारित स्टॉक की सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है और अधिनियम की धारा 19 में अधिसूचना जारी करना आज्ञापक नहीं है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक होने का कथन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।


उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया गया। बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 25.04.2007 को डाक से एक प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया, जिसमें 31.03.2006 को शेष रहे अन्तिम स्टॉक पर देय इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि लेखाकार की गलती के कारण सूचना समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी व्यवहारी ने विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना करने के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त लाभ को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वैट अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा करने सम्बन्धी प्रावधान नहीं है।



उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा डाक द्वारा दिनांक 24.04.2007 को पत्र भेजकर दिनांक 31.03.2006 को अन्तिम स्टॉक की सूचना प्रेषित की गई, जिसमें उसके द्वारा अन्तिम स्टॉक पर देय इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि का उल्लेख करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि की मांग गई है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा मैसर्स पी सी एच बिजनेस बनाम प्रधान सचिव, राजस्व विभाग (सीटी) आन्ध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य (2006) 144 एस टी सी 0104 में दी गई व्यवस्था "समयावधि के पश्चात दावा खारिज किए जाने योग्य होता है" एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीटीओ, मुरादाबाद व अन्य बनाम एच.फदीद अहमद एण्ड सन्स (1975) 36 एस टी सी 567 में दी गई व्यवस्था के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को सही माना है। इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.1/एसीसीटी/वैट/सीटीओ/वैट/सेल/2002 दिनांक 01.04.2006 एवं धारा 19 एवं नियम 18(11) का उद्धरण अंकित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने को उचित एवं विधिक माना है।

अपीलीय अधिकारी के द्वारा तथ्यों एवं विधिक स्थिति का समग्र एवं विस्तृत विवेचन के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है, जिसमें किसी हस्तक्षेप का औचित्य यह पीठ नहीं समझती है क्योंकि अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस के प्रत्येक बिन्दु पर विचार किया गया है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य